-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा 05-05 हजार रुपये के इनामिया 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। दहेज हत्या के मामले में वांछित चल रहे थे तीनों अभियुक्त।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा 03 इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि सोनू यादव पुत्र राजकरन नि0 चन्द्रायल थाना बिसंडा नें दिनांक 30.05.2024 को थाना तिन्दवारी पर प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होने अपने बहन की शादी दिनांक 10.05.2023 को थाना तिन्दवारी के ग्राम टोलिया डेरा के रहने वाले रामचन्द्र पुत्र चुन्नू यादव से की थी। शादी के बाद उनकी बहन को पति रामचन्द्र व उसके परिवारीजन दहेज की मांग को लेकर मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग को लेकर उन सब ने मिलकर दिनांक 27.05.2024 को मेरी बहन की हत्या कर दी। इस संबंध में थाना तिन्दवारी रामचन्द्र आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0 115/24 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्तों 1. रामचन्द्र पुत्र चुन्नू यादव, 2. चुन्नू यादव पुत्र रामबहादुर व 3. चुनवादी पत्नी चुन्नू यादव, पर 05-05 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था जिसके क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को तिन्दवारी-बबेरु रोड टोलिया सिंहपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामचन्द्र पुत्र चुन्नू यादव
2. चुन्नू यादव पुत्र रामबहादुर
3. चुनवादी पत्नी चुन्नू यादव नि0गण ग्राम टोलिया थाना तिन्दवारी जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 115/24 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष तिन्दवारी श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. कां0 मोहित शिवहरे
3. म0कां0 संतोषी लोधी